

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 27-09-2024



विषय—

श्री राजेश सिंह द्वारा गोपालगंज जिलान्तर्गत बिस्वम्भरापुर ग्राम के खाता संख्या— 43, खेसरा संख्या—423/ 529/451, 528/451, 527, थाना संख्या—165, अंचल—मांझा, SH-47 पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 0.01215 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग—

भवदीय कार्यालय पत्रांक FC/47/2019-395 दिनांक 21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/39940/2019/3898, दिनांक 13.04.2020 द्वारा कुल 12 शर्तों के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,94,632.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219939940469, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52024090946905339 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- 3.(a) NPV के मद में मेरे द्वारा 0.01215 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 11,637.00 बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219939940469, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bengaluru में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No. SBINR52024090946905339 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
- (b) मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, Bengaluru के खाता में दिनांक 09.09.2024 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
5. जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

२१

- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 9 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
11. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
12. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

साथ ही मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

राजेश सिंह

(राजेश सिंह)

पिता-स्व. श्री विरेन्द्र सिंह,
ग्राम-जलालपुर, पोस्ट-धरमपरसा,
जिला-गोपालगंज।

समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला आपूर्ति शाखा)

FRA- 2006 का प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या 01 / आ0 दिनांक 07-09-2019

प्रमाणित किया जाता है कि गोपालगंज जिले में प्रयोक्ता एजेन्सी श्री राजेश सिंह द्वारा, मौजा-विशम्भरपुर, थाना-मांझा, जिला-गोपालगंज रैखिक परियोजना निर्माण स्थान कुल लम्बाई (कि०मी०)-35 मीटर से परियोजनान्तर्गत वन भूमि की लम्बाई (कि०मी०)-7.5+7.5 मीटर तक कुल कि०मी०-15 मीटर में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.01215 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-803 दिनांक-25.06.2019 द्वारा FRA- 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका -1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक- 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गावों में वर्ष- 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।



जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।
(बिहार)

मुख्य अभियंता, उत्तर का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(E-mail:- cernb@gmail.com, Mob. No.-9470001351)

37

पत्रांक :- प्र०-23/उ०बि०(या०) आउटलेट-31-37/2019

दिनांक :-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता, उत्तर

सेवा में,

अधीक्षक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,

सारण पथ अंचल, हाजीपुर।

विषय:-

पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत मौजा-विशम्भरपुर, थाना-मांझागढ़, थाना नं०-165, खाता नं०-45, खेसरा नं०-423/529, 451/528, 451/527, जिला-गोपालगंज में BPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:-

- (i) आपका पत्रांक-768 (अनु०), दिनांक-27.07.2024
- (ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 1921 (S) दिनांक-08.03.2018
- (iii) विभागीय पत्रांक-80 (E), दिनांक-04.01.2024

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत मौजा-विशम्भरपुर, थाना-मांझागढ़, थाना नं०-165, खाता नं०-45, खेसरा नं०-423/529, 451/528, 451/527, जिला-गोपालगंज में BPCL द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थापित करने के लिए पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार करने हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-80 (ई०) दिनांक-04.01.2024) तथा संकल्प ज्ञापांक-1921(S), दिनांक-08.03.2018 के आलोक में प्रदान की जाती है। उक्त अनापत्ति कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न चेकलिस्ट में अंकित विवरणी के आधार पर दी जा रही है। कृपया अपने स्तर से प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का पुनः निरीक्षण कर चेकलिस्ट में अंकित विवरणी से संतुष्ट होकर ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय। यदि भविष्य में इसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो कार्यपालक अभियंता इसके लिए जिम्मेवार होंगे:-

1. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है तो यह औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921 (S) दिनांक-08.03.2018 की कड़िका-6 के अनुपालन में विभाग द्वारा निर्धारित Renewal Fee जमा कराते हुए नवीकरण की जाएगी।
4. MoRTH, IRC एवं विभागीय रिटेल आउटलेट से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
5. समर्पित चेकलिस्ट के आधार पर औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि चेकलिस्ट में दर्ज सूचनाओं से स्वयं भी संतुष्ट हो कर कार्रवाई करेंगे।
6. Acceleration Lane एवं Deceleration Lane का प्रावधान ड्राईंग में करते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे एवं तदनुसार Field Execution सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:-नक्शा की एक प्रति (मूल में)।

विश्वासभाजन

ह०/-

15/4

दिनांक :-

27/8/2024

मुख्य अभियंता, उत्तर

ज्ञापांक :-

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज/Territory Manager (Retail) Muzaffarpur, Bharat Petroleum Corporation Limited., Village- Sherpur, Near Narayanpur Anant Rly Station on N.H-28, P.O- MIT Bela, Muzaffarpur-842005/, Shri-Rajesh Singh, S/o- Late Shri Virender Singh Village-Jalalpur, Post-Dharamparsa, PS-Manjha Garh, Dist-Gopalganj, Bihar, Pin-841427, को सूचनार्थ ए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, उत्तर

NOC retail outlets

JTR-SBINRS2024090946905339

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
ऑफ इंडियाUnion Bank
of Indiaआन्ध्र
Andhraवन विभाग
Forest Department

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-09-2024

Agency Name.	RAJESH SINGH GOPALGANJ
Application No.	19939940469
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/39940/2019
Location.	BIHAR
Address.	S/o-Late Shri Virendra Singh, Village-Jalalpur, Post-Dharamparsa, Dist.- GopalganjGopalganj
Amount(in Rs)	906269/-

Amount in Words :Nine Lakh Six Thousand Two Hundred and
Sixty-Nine Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506219939940469 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy of
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@
ubin0903710@unionbankofindia.bank

